

संशोधन

न्याय अनुभाग-8 (लेखा) उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्य-ए-55/सात-न्याय-8 (लेखा)-24-24/28/91 टी0सी0 दिनांक 12 जून, 2024 के साथ संलग्न आवेदन-पत्र का संशोधित प्रारूप।
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में रिक्त उपाध्यक्ष (न्यायिक) के 01 पद, सदस्य (न्यायिक) के 04 पद एवं सदस्य (प्रशासकीय) के 05 पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु
आवेदन-पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट
साइज का
नवीनतम
फोटो

1-आवेदक का पूरा नाम

* हिन्दी में

* अंग्रेजी में

(बड़े अक्षरों में)

2-पिता/पति का नाम

3-जन्मतिथि

4-स्थायी पता

5-अस्थायी/वर्तमान पता

6-सम्पर्क सूत्र

* दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित)

* मोबाइल नं0

* फैक्स नं0

* ई-मेल

7-पैन नम्बर

8-शैक्षिक योग्यता

9-(क) क्या आवेदक विवाहित है हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ तो क्या आवेदक की एक या एक से

अधिक पत्नियों जीवित है

(पुरुष आवेदकों के लिए)

अथवा

क्या आवेदक ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है

जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है

(महिला आवेदकों के लिए)

10-राष्ट्रीयता

11-(क) वर्तमान/पूर्व धारित अन्य विवरण (धारित पद का नाम किस अवधि तक धारित किया गया है, का उल्लेख अवश्य हो)

(ख) न्यायिक/प्रशासनिक अनुभव, यदि कोई हो (भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन यदि कोई सेवा की गयी हो तो जिस पद पर सेवा की गयी हो, उसका पदनाम तथा अवधि का उल्लेख अवश्य किया जाय)

*अन्य विशिष्ट उपलब्धियाँ, यदि कोई हो

12-आवेदक अपने बारे में निम्न सूचनाएँ/विवरण करेंगे:

*शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में रहने की स्थिति में यदि सेवाकाल के दौरान कोई विभागीय जांच जिसमें आरोप-पत्र दिया गया हो, ऐसी विभागीय जांच/कार्यवाही का विवरण दिया जाय, जिसमें आरोप पत्र तथा विभागीय जांच का अन्तिम परिणाम अवश्य अंकित किया जाय।

*आपराधिक प्रकरण में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी हो, ऐसे अपराधिक प्रकरण के सम्बन्ध में विवरण दिया जाए, जिसमें दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने का नाम, जनपद का नाम तथा जिन धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है, का विवरण दिया जाय। यदि दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम, न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र का संज्ञान लेने की तिथि, वाद संख्या तथा न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रसारित अद्यतन आदेश का उल्लेख किया जाय।

*शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा या अन्य स्थिति में यदि कोई सर्तकता जांच प्रारम्भ की गयी हो या प्रचलित हो, तो उसका विवरण दिया जाय

13-परिवार के सदस्यो, जिसमें माता-पिता, पति पत्नी, बच्चे शामिल होंगे, के विरुद्ध भी यदि कोई आपराधिक वाद पंजीकृत हो, तो उसका विवरण प्रस्तर-12 (ख) के अनुसार दिया जाय।

14-विगत 10 वर्षों में जिन-जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवास किया गया हो, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का विवरण दिया जाय -----

नोट- यदि आवेदक भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

घोषणा-पत्र

मैं ----- आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री -----
इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित (Prosecuted) निरुद्ध (Kept in detention) आबद्ध (Bound) दण्डित (Convicted) अथवा अर्थदण्डित (Fined) नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं है।

इस आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरण व तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। कोई तथ्य असत्य नहीं है और न ही किसी तथ्य को छुपाया गया है। यदि इसमें कोई तथ्य कालान्तर में असत्य पाया जाये अथवा छुपाया गया पाया जाये अथवा अधूरा पाया जाये, तो मेरा अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

स्थान :-----

दिनांक :-----

आवेदक के हस्ताक्षर :-----

नाम :-----

विनोद सिंह रावत
प्रमुख सचिव, न्याय विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: ए-58 /सात-न्याय-8 (लेखा)-24-24(28)/91टी0सी0 दिनांक 14 जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
- 3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5-निबन्धक, उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को राज्य लोक सेवा अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुश कुमार)
विशेष सचिव।